

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), टोंक

क्रमांक: AR/TONK/2023/054841

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/TON/0006543

दिनांक: 11/06/2023

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशंषा सहित प्राप्त निम्न आंधी तूफान के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 NDM-1 दिनांक 10.10.2022 अवधि 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आंधी तूफानसे पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार अधिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
---------	--------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

1	AR/TONK/ 2023/0548 41	नाम: Pradhan Kumawatपिता का नाम: Ramdev Kumawatजिला: टोंक	43, तेजाजी मंदिर के पास, देवली, पंचायत समिति देवली, ग्राम पंचायत -हिसामपुर, गाँव - थली	25/05/2023	आंधी तूफान	जिले में दिनांक 25-26 मई, 2023 को आंधी-अंधड़ तूफान से हुई आंशिक क्षति के प्रकरण प्रधान कुमावत पुत्र श्री रामदेव कुमावत निवासी ग्राम (पुर्नवास कोलोनी थली) ति तरीया, ग्रा.प. हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक में तहसीलदार देवली, गिरदावर एवं पटवारी की संयुक्त जांच रिपोर्ट एवं संलग्न तकमीना रिपोर्ट अनुसार पक्केर मकान की 15% से अधिक क्षति होने तथा तहसीलदार देवली द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर एसडीआरएफ/एनडीआरएफ नोक्स परिपत्र क्रमांक 33-03/2020-एनडीएम-1 दिनांक 10.10.2022 के बिन्दु संख्या 10 (ख)- (i) के अन्तर्गत आपदा से प्रभावित आवेदक प्रकरण श्री प्रधान कुमावत पुत्र श्री रामदेव कुमावत को आर्थिक सहायता राशि ₹. 6500 की स्वीकृति प्रदान करने बाबत	6500
योग						6500	


आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग


राजस्थान सरकार

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-02-113-(09)-[07]-12

प्रतिलिपि -निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त,.....
3. जिला कलेक्टर, टोंक।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, टोंक।
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा


जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
टोंक


प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
टोंक